

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 39/2021

तारीख 21.09.2021

अनवान

1. लीलादेवी पत्नि दुर्गाशंकर जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां खुर्द तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....प्रार्थी

बनाम

1. नाथूलाल पिता नन्दा जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी तिखी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. काना पिता हीरा जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी थडौदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. शंकर पिता कालु जाति तेली उम्र वयस्क निवासी थडौदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा0ले0रे0एक्ट

—: आदेश :-

दिनांक : 3/12/2021

प्रार्थना पत्र लीलादेवी पत्नि दुर्गाशंकर जाति मीणा निवासी बिजौलियां खुर्द तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0) ने जरिये अभिभाषक श्री गिरधारीलाल आचार्य एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा तिखी पटवार हल्का बिजौलियां खुर्द तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 76 पर अंकित आराजी संख्या 87 रकबा 0.2914 हैक्टेयर, आराजी संख्या 207/8 रकबा 0.8094 हैक्टेयर, आराजी संख्या 88 रकबा 0.7122 हैक्टेयर, आराजी संख्या 89 रकबा 0.2590 हैक्टेयर कुल किता 4 रकबा 2.0720 हैक्टेयर भूमि पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते हैं। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की तार्ईद में शपथपत्र संलग्न है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया।

अतः प्रशासन गोंवों के संग अभियान-2021 में शिविर स्थान में पत्रावली पेश हुई हमने पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 के अवलोकन से प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा तिखी पटवार हल्का बिजौलियां खुर्द तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 76 पर अंकित आराजी संख्या 87 रकबा 0.2914 हैक्टेयर, आराजी संख्या 207/8 रकबा 0.8094 हैक्टेयर, आराजी संख्या 88 रकबा 0.7122 हैक्टेयर, आराजी संख्या 89 रकबा 0.2590 हैक्टेयर कुल किता 4 रकबा 2.0720 हैक्टेयर भूमि बशमलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100/- रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे। भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलियां खुर्द को पत्थरगढ़ी बाबत् कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 500/- रूपये वक्त पत्थरगढ़ी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।



8
(सीमा अधिकारी)
प्रशासन उपखण्ड अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी)
बिजौलियां (भीलवाड़ा)

FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)



अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

बिजौलियां

लीला बनाम
किस्म मुकदमा - 11-120 नम्बर 430 / 2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
21/9 / 2021	<p>प्रार्थना पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। परोकार हाजिर। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हों। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 12/10 / 2021 को पेश हों।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां</p>	
03 12 2021	<p>पत्रावली बन्द बन्दे से आज प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021 में शिविर-स्थान उमा ली का खेड़ा में पेश हुई, पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 स्वीकार किया जाता है, निर्णय पुश्क से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया, पत्रावली कुँसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;"> प्रशासन गाँवों संग अभियान-2021 (उपखण्ड अधिकारी) बिजौलियां (भीलवाड़ा)</p>	